

संचालनालय आयुष, म०प्र०

(भू-तल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक 29/11/2024

-विज्ञप्ति-

-स्नातक स्त्रे वैकेन्सी राउण्ड-III काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)-
-बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस-

म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2024 तथा म०प्र० प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2024 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम०पी० ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

2/ प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत स्त्रे वैकेन्सी राउण्ड-III का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	NEET UG -2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन	दिनांक 25/11/2024 से 27/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
2	पंजीयन फार्म में एडिट करने की सुविधा (Only For the newly registered candidates of the Stray vacancy round-III.)	दिनांक 25/11/2024 से 28/11/2024 सायं 05 बजे तक
3	हेल्प सेंटर्स पर अभिलेख सत्यापन (Please note that once the candidate's details have been verified, they will not be able to make any further changes to their registration information.)	दिनांक 26/11/2024 से 28/11/2024 सायं 05 बजे तक
4	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 29/11/2024
5	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 29/11/2024
6	पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 29/11/2024
7	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्चाईस फिलिंग)	दिनांक 02/12/2024 से 03/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
8	च्चाईस फिलिंग, लॉकिंग तथा एडिट करने की सुविधा	दिनांक 02/12/2024 से 03/12/2024 रात्रि 11:59 बजे तक
9	महाविद्यालयवार मेरिट सूची का प्रकाशन (1 X 10 के आधार पर)	दिनांक 04/12/2024 प्रातः 06 बजे
10	महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि (रिपोर्टिंग)	दिनांक 06/12/2024 प्रातः 09 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक
11	महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 06/12/2024 दोपहर 02 बजे
12	महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश	दिनांक 06/12/2024 दोपहर 02:30 बजे से सायं 07 बजे तक

नोट:-

*स्त्रे वैकेन्सी राउण्ड-II की समाप्ति के पश्चात् आयुष महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने/अभ्यर्थी उपलब्ध होने की स्थिति में ही स्त्रे वैकेन्सी राउण्ड-III संपादित किया जावेगा।

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

...निरंतर अगले पृष्ठ पर/-

//2//

- 4- पूर्व चरणों के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष सभी पंजीकृत/सत्यापित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड-III हेतु पात्र होंगे।
- 5- मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।
- 6- महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज न कराने की स्थिति में प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 7- महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः मैरिट जारी की जायेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- 8- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एवं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित परसेन्टाइल सीमा के आधार पर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड-III की प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी:-

Sno	Category/Class	Minimum Cut-off Percentile
1	UR/EWS	35 Percentile
2	OBC/ST/SC	25 Percentile
3	UR-PwD/EWS-PwD	30 Percentile
4	OBC-PwD/ST-PwD/SC-PwD	25 Percentile

- 9- नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाइट <https://ayush.mp.gov.in> एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहें।
 - 10- *स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड-II की समाप्ति के पश्चात् आयुष महाविद्यालयों में सीटें रिक्त रहने/अभ्यर्थी उपलब्ध होने की स्थिति में ही स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड-III संपादित किया जावेगा।
- आयुक्त द्वारा अनुमोदित

प्र0उप संचालक

संचालनालय आयुष म0प्र0